REPOPRT OF THE JOINT COMMITTEE

IN COMPLIANCE WITH THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ORDER DATED 04.07.2022

IN O.A.No. 376/2022

(ANKIT SHARMA AND OTHERS VS. STATE OF M.P.)

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NGT VIDE ORDER DATED 04.07.2022IN OA NO. 376/2022

(ANKIT SHARMA AND OTHERS VS. STATE OF M.P.)

INDEX

S.No.	Details of Enclosure	Page No.
1.	Report of Joint Committee	1-7
2.	Enclosure A	1-6
3.	Enclosure B	7-9
4.	Enclosure C	10
5.	Enclosure D	11
6.	Enclosure E	12-13
7.	Enclosure F	14
8.	Enclosure G	15 - 17

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED BY HON'BLE NGT VIDE ORDER DATED 04.07.2022

IN OA NO. 376/2022

(ANKIT SHARMA AND OTHERS VS. STATE OF M.P.)

1.0 Background:

1.1 Shri Ankit Sharma, Mandal Adhyaksh, Bhartiya Janata Party, Mandal Raghogarh, made complaint of Mangilal and his sons about illegal cutting of thousands of trees by using battery operated saw machine and dug out a well in the Forest Land bearing compartment no. 155 situated in Village Sankra Lathya, Aaron tehsil, District Guna, Madhya Pradesh. The same land has also been encroached upon by the Kalu Yadav, Rajpal Yadav and Kishan Yadav who have sown wheat on the same. It has been alleged that several complaints were made by the residents of the village along with the complainant to the Forest Department but no action was taken. It has been prayed that the so called well should be filled completely and the wheat sown by Kallu Yadav should be cut by the Forest Department and the persons found in adverse possession be prosecuted.

1.2 Hon'ble NGT admitted the complaint of Shri Ankit Sharma as OA No. 376/2022 and vide its order dated 04.07.2022 was pleased to order that:

"In view of the serious allegations made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report in the matter. Accordingly, we constitute a Committee comprising of representative from Regional Office of MoEF& CC at Bhopal, DFO Guna, and Collector Guna. The Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant and verify the factual position and take requisite action by following due process of law. The DFO, Guna will be the Nodal Agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searcheable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

1.3 In Compliance of the order of Hon. NGT, a committee comprising of the following officers :

S. No.	Name of the Officer	Designation	Department
1.	Shri Hareram	Technical Officer MoEF& CC, Bhopal	Regional Office of MoEF& CC, Bhopal
2.	Shri Hemant Raikwar	Divisional Forest Officer, Guna	Forest
3.	Shri Frank Noble A	Collector, Guna	Revenue

2.0 Proceedings After Order dt.04.07.2022

2.1 The order dated 04.07.2022 of Original Application No. 376/2022 of the Ho. NGT was received on 23rd July 2022.

2.2 In compliance to the above order, a letter issued to the forest range officer Aron no./V.N.S/2022/7338 dated 27.07.2022, by Divisional Forest Officer Guna asking about the present Status of the above. In respect of the above, Official Letter No. 993 date 03.08.2022 of the Forest Range Officer was received. In which two points were objected. They are as under:

2.2.1 That the Forest Range Officer went on the spot for investigation on 05.03.2021 and found the remains of old encroachment. Kalu Yadav, against whom complaint is made, present on spot told that it is not his or his son's encroachment. Rambhan Yadav present on spot admitted encroachment to be his own, against whom necessary proceedings were registered through the respected Beatgaurd P.O.R. No. 110/21 dated 06.03.21 under section 33(1)g of the Indian Forest Act, 1927 and Notice was issued against the accused under section 80A to remove his encroachment and in failure to do so, the Divisional Forest Officer Guna ordered the evacuation via order dated 01.08.22, in which the evacuation is to be made.

2.2.2 That the Forest Range Officer along with the staff went on the spot for investigation on 19.08.2021. In which they found around 2 bheega Land cleaned along with 08 stumps of satrukha trees and 03 stumps of Sagwaan trees were cut and one small hut (Tapra) was found in which Mangilal Ahirwar and his wife (both aged around 60-62 years and handicapped) were residing. Another small hut (tapra) was found which was removed therein by the staff. On enquiry being made in respect of the cutting of trees, the villagers told that Suresh Ahirwar (son of Mangilal Ahirwar) has done the same. legal action were initiated against Suresh Ahirwar thorugh P.O.R. Case No. 110/27 dated 19.08.21 for encroachment and illegal cutting of trees. Notice was issued under section 80A to remove his encroachment and in failure to do so the Divisional Forest Officer Guna ordered the evacuation via order dated 01.08.22, in which the evacuation is to be made.

2.3 General Forest Division Guna issued letter no./V.N.S./8180 dated 23.08.2022, to the District Collector Guna placed in **ENCLOSURE A**, it is found that:

2.3.1 On Inspection being made by Forest Range Officer Aron on 26.03.22 on the basis of said complaint, a well was found which was dug out illegally, in which proceedings were initiated against Suresh Ahirwar

through P.O.R. Case No. 110/35 dated 31.03.22. In proceeding in the case, the Forest staff was filling the illegal well with soil and stones on 03.04.22, where in some women came quarreled with the staff and the act of filling the well were not completed.

2.3.2 Apart from the above complaint, on the said land information was received about the illegal cutting of trees and around 21 to 22 chopped trees were found. Proceedings were initiated through P.O.R. No. 110/32 dated 26.01.2022 and P.O.R. No.110/33 dated 28.01.2022 against unknown accused persons. Therefore, the information received was found to be true but the fact of cutting of thousand of trees is fasle.

2.3.3 On inspection being made by the Division Forest Officer Guna on 04.08.2022, the facts mentioned under point 2.2.1 and 2.2.2 are found to be correct and request is made to the Collector, Guna to allow proceeding in the case by providing adequate Police Force without which the proceeding cannot be further moved.

2.4 Forest Range Officer issued a letter no. /1061 dated 17. 08.2022 to the Forest Divisional Officer Guna inclosing the receipt of the evacuation order of Rambhan for P.O.R. No. 110/21 dated 06.03.2021. Order no. 1520 dated 01.08.2022 issued by Divisional Forest Officer Guna. and evacuation order of Suresh

Ahirwar for P.O.R. No. dated 57/2021 order no 1521 dated 01.08.2022 issued by Divisional Forest Officer Guna. dated 19.08.2021, which is placed in **ENCLOSURE B.**

2.5 The Collector, Guna issued a letter No. /729/L.R./L.M./2022 dated 30.08.2022 to the Sub Divisional Officer, (Revenue) Guna for the ascertainment of a date for proceeding for the evacuation process and provide the same to the Forest Department, which is placed in **ENCLOSURE C.**

2.6 The Sub-Divisional Officer, (Revenue) Guna issued a letter No. /1317/2022 dated 09.09.2022 fixing the date to be 15.09.2022 in compliance with the letterNo. /729/L.R./L.M./2022 dated 30.08.2022 issued by the Collector, Guna. It is placed in **ENCLOSURE D.**

2.7 The Forest Range Officer, Aron issued a letter No. /1180/2022 dated 15.09.2022, placed in **ENCLOSURE E**, informing the Forest Divisional Officer, Guna about the High Alert for Rain in the said region where the proceedings were to be carried on. The said information was received with the help of Police and Revenue Department Officers via a mobile phone. For the above reason the proceedings could not be proceeded further and was adjourned. The said proceedings is yet to take effect.

2.8 In Compliance with the above order the joint committee including Divisional Forest Officer Guna, Sub Divisional Officer (Revenue) Aron (Nominated by District Collector Guna), representative of Regional Office of MoEF& CC, Bhopal has inspected the said site of compartment no P-155 of Range Aron on 24/09/2022 and found that three small huts, made of brushwood, one kaccha well filled with rainy water was there, along with about 0.5 hact. of forest land cultivated by maize crop. **ENCLOSURE F .**

2.9 The above said spot of the encroachment was marked on toposheet of compartment no P-155 Forest Range Aron, Forest Division Guna. **ENCLOSURE G .**

2.10 On the basis of ground position, due to continuous rains. the evacuation will be done with in two months from date with the help of local administration and Police force. It is humbly requested for a time of 08 weeks, to evacuate the above encroachment.

Divisional Forest Officer
Division Guna (M. P.)

ENCLOSURE-A, ①

कार्यालय कलेक्टर
जिला गुना (म. प्र.)
शाखा का नाम L.R.
प्राप्ति 23 AUG 2022
दिनांक
अधीक्षक कलेक्टर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना

क्रमांक/व.नि.स./8180 गुना, दिनांक 23.08.2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला गुना

L.R.

विषय :– माननीय एन जी टी प्रकरण क्रमांक 376/2022 में दिनांक 04–07–22 को पारित आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक 155 से अतिक्रमण वेदखल की कार्यवाही के संबंध में ।

संदर्भ :– माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–22

विषयान्तर्गत माननीय एन जी टी द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलंग्न है, जिसमें याचिकाकर्ता अंकित शर्मा मण्डल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मण्डल राघौगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन, जिसमें कहा गया, कि "वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक 155 में ग्राम सॉकरा के मॉगीलाल हरिजन एवं उसके पुत्र ने बैटरी से संचालित आरामशीन से हजारों पेड़ काटकर वन विभाग की जमीन में कुँआ खोद लिया है, तथा कक्ष क्रमांक 155 में ही कल्लू यादव, राजपाल यादव एवं किशन यादव द्वारा वन विभाग की जमीन जोत कर गेंहूँ की फसल बो रखी है " पर सुनवाई करते हुये दिनांक 04–07–22 को आदेश पारित किया जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, एवं मुख्य वन संरक्षक भोपाल, वन मण्डलाधिकारी गुना तथा कलेक्टर गुना की समिति गठित कर, 04 सप्ताह के अन्दर समिति की बैठक कर, क्षेत्र भ्रमण कर, वस्तुस्थिति का आकलन कर, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये 02 माह के अन्दर तथ्यात्मक जानकारी एवं की गई कार्यवाही की रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । **(संलंग्न पृष्ठ क.01 से 15 तक)**

उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.नि.स./2022/7338 दिनांक 27–07–22 से वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, उनसे प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण में 02 बिन्दुओं पर शिकायत है, जो कि पूर्व में भी परिक्षेत्र कार्यालय में प्राप्त होने पर वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन द्वारा जॉच/कार्यवाही की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है ।

1. शिकायत कर्ता का कहना है कि कक्ष क्रमांक 155 में ही कल्लू यादव, राजपाल यादव एवं किशन यादव द्वारा वन विभाग की जमीन जोत कर गेंहूँ की फसल बो रखी है, उक्त संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन द्वारा दिनांक 05–03–2021 को स्थल पर जाकर जॉच की गई, मौके पर पुराना अतिक्रमण होकर फसल के अवशेष पाये गये, मौके पर उपस्थित कल्लू यादव व उनके लड़के जिनकी शिकायत की गई है, ने बताया कि यह अतिक्रमण उनका नहीं है । मौके पर उपस्थित एक अन्य व्यक्ति रामभान यादव ने उक्त अतिक्रमण उसका होना स्वीकार किया, जिस पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये संबंधित बीटगार्ड के माध्यम से पी ओ आर क्रमांक 110/21 दिनांक 06–03–21 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) ग के तहत पंजीबद्ध कराया गया, तथा संबंधित अपराधी के विरूद्ध नियमानुसार धारा 80 'अ' के तहत नोटिस जारी किया गया, संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना अतिक्रमण नहीं हटाने एवं न

420
26/8/2022

366
26/08/22

ही कोई प्रत्युत्तर देने पर वनमण्डलाधिकारी गुना के आदेश क्रमांक 1520 दिनांक 01–08–22 द्वारा वेदखली आदेश जारी किया गया है , जिसमें अब वेदखली की कार्यवाही की जाना है। **(संलंग्न पृष्ठ क्र 16 से 19 तक)**

2. शिकायत का दूसरा बिन्दु यह है , कि वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक 155 में ग्राम सॉकरा के मॉगीलाल हरिजन एवं उसके पुत्र ने बैटरी से संचालित आरामशीन से हजारों पेड़ काटकर वन विभाग की जमीन में कुँआ खोद लिया है , जिसमें वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा दिनांक 19–08–21 को स्टाफ के साथ स्थल निरीक्षण किया , जिसमें लगभग 02 बीघा वन क्षेत्र में साफ–सफाई पाई गई, तथा 08 ठॅठ सतरूखा एवं 03 ठूॅठ सागवान के कटे पाये गये, तथा एक टपरा बना पाया गया जिसमें मॉगीलाल अहिरवार एवं उसकी पत्नी उम्र लगभग 60 से 62 वर्ष दोनों शारीरिक रूप से विकलांा निवासरत पाये गये । एक अन्य टपरा भी नजदीक ही बना हुआ पाया गया जिसे मौके पर ही वन स्टाफ से तुड़वाकर हटाया गया । कटाई के संबंध में ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त कटाई मॉगीलाल के पुत्र सुरेश अहिरवार के द्वारा की गई है, , जिस पर सुरेश पुत्र मॉगीलाल अहिरवार के विरूद्ध पी ओ आर प्रकरण क्रमांक 110/27 दिनांक 19–08–21 अवैध कटाई एवं अतिक्रमण का पंजीबद्ध कराया गया । वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार धारा 80 'अ' के तहत नोटिस जारी किया गया, संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना अतिक्रमण नहीं हटाने एवं न ही कोई प्रत्युत्तर देने पर वनमण्डलाधिकारी गुना के आदेश क्रमांक 1521 दिनांक 01–08–22 द्वारा वेदखली आदेश जारी किया गया है , उक्त प्रकरण में भी वेदखली की कार्यवाही की जाना है। **(संलंग्न पृष्ठ क्र 16 से २0 तक)**

इसी शिकायत के संदर्भ में वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन द्वारा दिनांक 26–03–22 को किये गये निरीक्षण के दौरान एक नवीन कुऑ अवैध रूप से खुदा पाया गया , जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये आरोपी सुरेश पुत्र मॉगीलाल अहिरवार के विरूद्ध पी ओ आर प्रकरण क्रमांक 110/35 दिनांक 31–03–22 दर्ज किया गया , प्रकरण में कार्यवाही करते हुये वन स्टाफ द्वारा दिनांक 03–04–22 उक्त कुँए को मिट्टी पत्थर से पूरने की कार्यवाही की जा रही थी , तभी कुछ महिलाओं द्वारा मौके पर स्टाफ के साथ वाद विवाद किया गया , जिससे कुँये को पूरी तरह से नहीं पूरा जा सका । **(संलंग्न पृष्ठ क्र २1 से २3 तक)**

3. उक्त के अतिरिक्त इसी कक्ष क्रमांक पी 155 में अवैध कटाई की सूचना प्राप्त होने पर वन क्षेत्र में अवैध कटाई पाई गई, जिस पर पी ओ आर क्रमांक 110/32 दिनांक 26–01–22 एवं पी ओ आर क्रमांक 110/33 दिनांक 28–01–22 जिनमें क्रमशः 21 एवं 22 कटे हुये वृक्षों के ठूॅठों के प्रकरण अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध जारी की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । **(संलंग्न पृष्ठ क्र २1 से २2 तक)**

इस प्रकार शिकायत में उल्लेखित तथ्य आंशिक रूप से सही पाई गई, साथ ही हजारों वृक्ष काटे जाने की बात असत्य पाई गई है । उक्त क्षेत्र का मेरे द्वारा भी दिनांक 04–08–22 को स्थल निरीक्षण किया गया है , जिसमें बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 में उल्लेखित विवरण अनुसार स्थिति पाई गई है, प्रकरण में चूँकि माननीय न्यायालय द्वारा वस्तुस्थिति का आकलन कर , नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये 02 माह के अन्दर तथ्यात्मक जानकारी एवं की गई कार्यवाही की रिर्पोट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । अतः माननीय न्यायालय में रिर्पोट प्रस्तुत करने के पूर्व बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 में उल्लेखित

कार्यवाही जिसमें वन क्षेत्र में अवैध रूप से स्थित टपरा हटाने, कुँऐ को पूरने तथा अतिकमण वेदखली/फसल जप्ती आदि की कार्यवाही करते हुये अतिकमणकारियों को मौके से वेदखल किया जाना आवश्यक है, जो कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये प्रशासन/पुलिस के सहयोग के बगैर संभव नहीं है । अतः कृपया उक्त वन क्षेत्र से अतिकमण वेदखली हेतु पुलिस अधीक्षक गुना को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने एवं वेदखली की कार्यवाही के दौरान सबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरोन को वेदखली की कार्यवाही हेतु शीघ्र तिथि निर्धारित करने एवं निर्धारित तिथि पर मौके पर उपस्थित रहने के संबंध में उचित लेख करने का कष्ट करें, ताकि माननीय एन जी टी द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना कर समयसीमा में रिर्पोट भेजी जा सके । साथ ही माननीय एन जी टी के पारित आदेश के पालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त आदेश का पालन किया जा सके ।

संलंग्न :– उपरोक्तानुसार

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

पृ. कमांक/व.नि.स./ 8181 गुना, दिनांक 23.08.2022

प्रतिलिपि :– 1 श्री हरे राम कुमार तकनीकी अधिकारी (वानिकी) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल म.प्र. की ओर उनके पत्र क./ 5–1/2022 (एफ ओ आर) दिनांक 21–07–22 के संदर्भ में ।

2. मुख्य वन संरक्षक शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल गुना

वरिष्ठ NGT. 46/2022

4/2022/FO...(WZ)
Email

Dy. Director General

ORDER passed in Original Application No. 376/2022

From : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in> Mon, Jul 11, 2022 10:45 AM

Subject : ORDER passed in Original Application No. 376/2022 2 attachments

To : Dy. Director General <rowz.bpl-mef@nic.in>, PS Forest MP <psforest@mp.gov.in>, APCCF IT HQ Bhopal <apccfit@mp.gov.in>, dmguna <dmguna@nic.in>, DFO T Guna <dfot.gun@mp.gov.in>,

Reply To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Respected Sir/Madam,

I am directed to forward a copy of the Order dated **04/07/2022 passed in Original Application No. 376/2022 Ankit Sharma & Ors Applicants Versus State of M.P Respondent .** for your kind perusal & necessary action.
for further correspondence please send all the documents on the new mail-id i.e. ***judicial-ngt@gov.in***
Kindly acknowledge the same.

NOTE:- Please Send this ORDER to DFO, GUNA also.

REGARDS
CONSULTANT (Judicial)
(N.G.T.)(P.B.) GS

Azadi Ka Amrit Mahotsav

OA 376 of22_removed.pdf
17 MB

Ankit Shama & Ors.pdf
280 KB

Item No.6 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

Original Application No. 376/2022
(By Video Conferencing)

Ankit Sharma & Ors Applicants

Versus

State of M.P Respondent

Date of hearing: 04.07.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

<u>Application is registered based on a complaint received by Post.</u>

ORDER

1. The grievances in this letter Petition sent by **Mr. Ankit Sharma, Mandal Adhyaksh, Bharatiya Janata Party, Mandal Raghogarh**, which has been treated and registered as original application, are that Mangilal and his sons have illegally cut thousands of trees by using battery operated saw machine and dug out well in the Forest land bearing compartment no. 155 situated at Village Sankra Lathya, Tehsil Aron, District Guna, Madhya Pradesh. Land in the same compartment has also been encroached upon by Kalu Yadav, Rajpal Yadav and Kishan Yadav who have sown wheat crop on the same.

2. Photostat copy of the complaint made by Sardar and other complainants has been enclosed with the application and in view of the serious nature of the allegations and also the fact of complainants falling in the category of have nots/persons from marginalized section of the society, taking of cognizance of the matter and intervention by this

Tribunal is warranted in view of its role in protection of environment as observed by Hon'ble Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Vs. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897.***

3. In view of the serious allegations made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report in the matter. Accordingly, we constitute a Committee comprising of representative from Regional Office of MoEF & CC at Bhopal, DFO, Guna and Collector, Guna. The Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite action by following due process of law. The DFO, Guna will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 27.09.2022.

A copy of this order along with a copy of the application be forwarded to the Regional Office of MoEF & CC at Bhopal, DFO, Guna and Collector, Guna by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 4, 2022
Original Application No. 376/2022
AG

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक / 993 दिनांक 03.08.2022

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :– बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 155 में अतिक्रमण एवं अवैध कटाई के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वावत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / व.नि.स. / 2022 / 7338 / दिनांक 27.07.2022

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि –

संदर्भित पत्र में संलग्न **श्री शेख निजामुद्दीन (गुड्डू दौराना) राघोगढ़ मंडल उपाध्यक्ष भा.ज.पा.** का पत्र दिनांक **02.02.2021** जिसमें श्री निजामुद्दीन द्वारा कम्पार्टमेंट 155 में ढोर की जमीन पर कल्लू यादव, राजपाल यादव, कृष्णपाल यादव निवासी सांकरा द्वारा हकाई कर फसल बोने के संबंध में उल्लेख किया है। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 05.03.2021 को स्टॉफ के साथ बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में जाकर जांच की गई शिकायत स्थल की वास्तवित लोकेशन जानने हेतु शिकायत कर्ता श्री शेख निजामुद्दीन को मौके से फोन लगाया उन्होंने मौके पर आने में असमर्थता व्यक्त की ओर श्री हीरालाल ढीमर निवासी खैराई से उक्त स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करने को बोला ग्रामीण एवं स्टॉफ को साथ लेकर श्री हीरालाल ढीमर द्वारा बताये गये शिकायत स्थल पर पहुंचे, जहां पुराना अतिक्रमण होकर फसल अवशेष पाये गये। मौके पर उपस्थित कल्लू यादव व उनके लड़को जिनकी शिकायत की गई है ने बताया कि यह अतिक्रमण उनका नहीं है। मौके पर उपस्थित एक अन्य व्यक्ति रामभान यादव ने उक्त अतिक्रमण उसका होना स्वीकार किया मौके पर संबंधित बीटगार्ड श्री प्रमोद गौर को प्रकरण दर्ज करने व आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये साथ ही कक्ष क्रमांक पी 155 में अन्य अतिक्रमण के संबंध में पूर्ण बस्तु स्थिति का प्रतिवेदन तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये तथा मौका पंचनामा बनाया गया। इस वावत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 200 / दिनांक 06.03.2021 से संबंधित बीटगार्ड श्री प्रमोद गौर एवं पत्र क्रमांक / 201 / दिनांक 06.03.2021 से परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट को लेख कर भी निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के पालन में बीटगार्ड श्री प्रमोद गौर द्वारा आरोपी रामभान यादव निवासी लठ्या के विरूद्ध 1.440 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का वन अपराध पी.ओ. आर. प्रकरण क्रमांक 110 / 21 दिनांक 06.03.2021 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत पंजीबद्ध किया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (अ) के तहत नोटिस क्रमांक / मा.चि. / 1602 / दिनांक 29.03.2022 श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना से जारी कराकर दिनांक 03.04.2022 को आरोपी रामभान यादव को वितरित कराया गया। आरोपी के स्वयं के द्वारा अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त न करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 938 दिनांक 26.07.2022 से बेदखली आदेश जारी करने हेतु श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना को पत्र लिखकर बेदखली आदेश जारी कराया गया है। शीघ्र ही बेदखली कार्यवाही की जावेगी। (संलग्न 1 से 5 तक)

H:\range aron\roaron\Ro Aron latter 19.08.2021.doc

संदर्भित पत्र में संलग्न माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह यादव जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट भारत सरकार को संबोधित श्री शेख निजामुद्दीन (गुड्डू दौराना) राधोगढ़ मंडल उपाध्यक्ष भा.ज.पा. का पत्र दिनांक 09.07.2021 तथा माननीय प्रधान मंत्री जी महोदय भारत सरकार को संबोधित श्री शेख निजामुद्दीन (गुड्डू दौराना) राधोगढ़ मंडल उपाध्यक्ष भा.ज.पा का पत्र दिनांक 21.03.2022, श्री गोपाल पटवा जिला प्रवक्ता भा.ज.पा. का पत्र दिनांक 28.03.2022 एवं श्री अंकित शर्मा मंडल अध्यक्ष राधोगढ़ का पत्र दिनांक 28.03.2022, में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सांकरा लठ्या के वन विभाग के कम्पार्टमेंट नम्बर 155 में गांगीलाल हरिजन एवं उसके पुत्र ने बैट्री से संचालिक आरामशीन से हजारों पेड़ काटकर अतिक्रमण कर कुआ खोद लिया है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 715 दिनांक 12.07.2021 से तथा पुनः पत्र क्रमांक 821 दिनांक 14.08.2021 से तथा पत्र क्रमांक 862 दिनांक 14.08.2021 से श्री प्रमोद गौर बीटगार्ड बीट मिर्जापुर (ब) को लेख कर मौका स्थल की जांच कर वस्तु स्थिति का पता करने एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। दिनांक 19,08.2021 को मेरे स्वयं के द्वारा वन स्टॉफ को साथ रख बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में जाकर तथा श्री शेख निजामुद्दीन के पत्र के साथ संलग्न पंचनामा में हस्ताक्षरित सरदार बंजारा आदि ग्रामीणों को बुलाकर मौके पर पहुंचा। वनस्टॉफ से मौके पर घूम–फिर कर निरीक्षण कराया गया जिसमें 08 ठूठ सतरूखा एवं 3 ठूठ सागवान के कटे पाये गये। साथ ही लगभग 02 बीघा वनक्षेत्र में साफ–सफाई पाई गई। तथा एक टपरा बना पाया गया जिसमें मांगीलाल अहिरवार एवं उसकी पत्नी उम्र लगभग 60 से 62 वर्ष दोनों शारीरिक रूप से विकलांग निवासरत् पाये गये। एक अन्य टपरा भी नजदीक ही बना हुआ पाया गया जिसे मौके पर ही वनस्टॉफ से तोडकर हटवाया गया। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उक्त कटाई मांगीलाल के पुत्र सुरेश अहिरवार के द्वारा की गई है। मौके पर संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं बीटगार्ड को वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 33(1)क एवं 33(1)ग के तहत सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार निवासी सांकरा के विरूद्ध पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 110/27 दिनांक 19.08.2021 अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। भारतीय वन अधिनियम की धारा 80 (अ) के तहत नोटिस क्रमांक/मा.चि./1600/दिनांक 29.03.2022 जारी कराकर दिनांक 31.04.2022 को आरोपी के पिता मांगीलाल हरिजन को वितरण कराया गया। आरोपी के स्वयं के द्वारा अतिक्रमित वन भूमि को मुक्त न करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 938 दिनांक 26.07. 2022 से बेदखली आदेश जारी करने हेतु श्रीमान् वन मंडलाधिकारी महोदय गुना को पत्र लिखकर बेदखली आदेश जारी कराया गया है। शीघ्र ही वेदखली कार्यवाही की जावेगी। (संलग्न 6 से 10 तक)

दिनांक 23.01.2022 को कक्ष क्रमांक पी 155 में अवैध कटाई की सूचना प्राप्त होने पर वन स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचा जहां 20–22 वृक्ष सागौन एवं अन्य प्रजाति के कटे हुऐ पाये गये तथा नजदीक ही एक नया टपरा बना हुआ पाया गया जिसे स्टॉफ से मौके पर ही तुड़वाकर हटवाया गया। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 105 दिनांक 24.01.2022 से परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट श्री हरिप्रसाद जाटव वनपाल को एवं पत्र क्रमांक 106 दिनांक 24.01.2022 से बीटगार्ड मिर्जापुर (ब) श्री राजा रघुवंशी को कटे पाये गये वृक्षों के ठूठों पर नंबरिंग, हेमरिंग कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर अपने–अपने स्पष्टीकरण के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एवं उक्त क्षेत्र की सतत् निगरानी करने तथा अवैध कटाई एवं अतिक्रमण न होने देने

के संबंध में लेख किया गया। उक्त कटाई के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)क के तहत अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध 21 सागौन तथा अन्य प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई का प्रकरण पी.ओ.आर. क्रमांक 110/32 दिनांक 26.01.2022 दर्ज कराया गया तथा परिक्षेत्र सहायक को प्रकरण की जांच कर आरोपियों का पता लगाने हेतु एवं जप्त वनोपज को डिपो परिवहन कराने हेतु लेख किया गया। पुनः दिनांक 28.01.2022 को परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट ने बीट निरीक्षण के दौरान बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में सागवान के 22 कटे हुऐ वृक्षों के ठूठों का प्रकरण पी.ओ.आर. क्रमांक 110/33 दिनांक 28.01.2022 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)क के तहत अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध संबंधित बीटगार्ड राजा रघुवंशी से पंजीबद्ध कराया। परिक्षेत्र सहायक को उक्त प्रकरण की जांच कर शीघ्र आरोपियों का पता लगाने वावत् एवं जप्त वनोपज को डिपो परिवहन कराने हेतु लेख किया गया। (संलग्न 11 से 15 तक)

दिनांक 26.03.2022 को मेरे द्वारा कक्ष क्रमांक पी 155 में निरीक्षण के दौरान एक नवीन कुआ अवैध रूप से खुदा हुआ पाया गया जिस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 475 दिनांक 28.03.2022 से परिक्षेत्र सहायक वरखेड़ाहाट श्री हरिप्रसाद जाटव एवं पत्र क्रमांक 476 दिनांक 28.03.2022 से बीटगार्ड मिर्जापुर (ब) श्री राजा रघुवंशी को वनक्षेत्र में खोदे गये उक्त कुऐ के संबंध में तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)ख के तहत आरोपी सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार के विरूद्ध पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 110/35 दिनांक 31.03.2022 दर्ज कराया। साथ ही संबंधित परिक्षेत्र सहायक बीटगार्ड एवं अन्य वन स्टॉफ को निर्देशित कर दिनांक 03.04.2022 को उक्त कुऐ को मिट्टी–पत्थर से पूरने हेतु निर्देशित कर मौके पर भेजा गया वन स्टॉफ के द्वारा कुऐ को जब पूरा जा रहा था तभी कुछ महिलाओं द्वारा मौके पर स्टॉफ के साथ वाद विवाद किया गया जिससे कुऐ को पूरी तरह नहीं पूरा जा सका। (संलग्न 16 से 19 तक)

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त शिकायतों के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई है। हजारों वृक्ष काटे जाने की शिकायत असत्य है मौके पर जो वृक्ष कटे हुऐ पाये गये उनके संबंध में तथा शिकायतों में उल्लेखित वन भूमि में अतिक्रमण एवं कुआ खोदे जाने के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई है। सभी पी.ओ.आर. प्रकरण संबंधित परिक्षेत्र सहायक को जांच हेतु दिये गये है जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। कार्यवाही प्रतिवेदन श्रीमान् जी की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

6625
10-8-22

ENCLOSURE B

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in Ph.- 07545258618

क्रमांक/ 1061 दिनांक 17.8.22

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,

सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :— बेदखली आदेश वितरण कर पावती प्रति प्रस्तुत करने वावत्।

—000—

उपरोक्त विषय में निवेदन कि वन अपराध प्रकरणों में सूची अनुरार आरोपियों को बेदखली आदेश वितरण कर पावती प्रति श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्र.	पी.ओ.आर. नं.	आर.सी.नं.	अपराधी का नाम	अतिक्रमित रकवा
1	110/21 दि. 06.03.2021	10/2021	रामभान पुत्र हल्के यादव नि. लढ़या	1.440 हे.
2	110/27 दि. 19.08.2021	57/2021	सुरेश पुत्र मांगीलाल अहिरवार नि. सांकरा	0.418 हे.

संलग्न :— पावती प्रति 02

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आरोन

मार्किंग
17/08/22

आ.क्र. 6766
दिनांक 18/8/22

H:\range aron\roaron\Ro Aron latter 01.08.2022.docx

श्री .... भा0व0से0, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश

श्री.....रामभान.....पुत्र श्री.....हल्के.....जाति.....यादव.....निवासी ग्राम......जिला गुना म.प्र. को प्रांरभिक अपराध सूचना कमांक.....दिनांक.....06/03/2021 ....के संदर्भ में भारतीय वन अधीनियम 1927 (म.प्र. संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 80 'अ' के तहत नोटिस कमांक.....दिनांक.....से सूचित किया गया कि वे नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर वनपरिक्षेत्र.....के अंतर्गत आरक्षित /संरक्षित वनखंड.....के प्रकोष्ठ कमांक.....में.....हेक्टर वन भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लें, अथवा कारण बतावें, कि नोटिस में वर्णित अनुसार कार्यवाही क्यों न की जावें।

उक्त संबंध में श्री.....रामभान.....ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी वन भूमि पर से अपना अतिकमण नहीं हटाया है, और / न ही कोई प्रत्युत्तर दिया है/ उनसे प्राप्त उत्तर संतोषप्रद नहीं है।

अतः मैं वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना भा.व.अ. 1927 (म.प्र. संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 80 ' अ ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक 5322/X/67 दिनांक 14.06.67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

आदेश

आदेश कमांक/मा.चि./ 1520 गुना /दिनांक/ 1.8.2022

5. श्री.....रामभान.....पुत्र श्री.....हल्के.....यादव.....निवासी ग्राम.....को आरक्षित /संरक्षित वनखंड.....के प्रकोष्ठ कमांक.....में उनके द्वारा अतिकमित.....हेक्टर वनभूमि से तत्काल बेदखल किया जाता है।
6. अतिकमित वनभूमि को अतिकमण से पूर्व की स्थिति में स्थापित किया जावे।

( )

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ0कं0/मा0चि0/ 1520 गुना, दिनांक/ 1.8.2022

1 श्री.....रामभान.....पुत्र श्री.....हल्के.....जाति.....यादव.....निवासी.....तेह0.....जिला गुना, को द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी.....कृपया पत्र प्राप्ति से 05 दिवस के अंदर उक्त वन भूमि से अपना कब्जा, खडी फसल या अन्य निर्माण स्वयं हटा लें, अन्यथा निर्धारित अवधि पश्चात् उक्त भूमि पर खडी फसल, मकान अथवा अन्य निर्माण राजसात (Forfeit) कर लिये जावेंगें।

2 श्री.....वन परिक्षेत्राधिकारी.....की ओर उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को वितरित कर, दूसरी पर दिनांकित पावती लेकर, इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। प्रकरण में निर्धारित अवधि समाप्त होनें के तुरंत बाद उपरोक्त व्यक्ति का अतिक्रमण वनभूमि से हटा दें, एवं मौके पर खडी फसल, मकान या अन्य निर्मित कृति विधिवत् जप्त कर अपने अधिकार में लेवें।प्रकरण में आवश्यक होनें पर संबंधित पुलिस / प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनसे सहयोग प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही करें। समस्त कार्यवाही एवं व्यय का प्रतिवेदन 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।(संलग्न आदेश की दो प्रति)

3 .जिलाध्यक्ष गुना की ओर कृपया प्रकरण में आवश्यक होनें पर प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु संबंधित तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) ..... को निर्देशित करने का कष्ट करें।

4 .पुलिस अधीक्षक गुना, कृपया प्रकरण में आवश्यकता होनें पर पुलिस बल सहयोग प्रदान करने हेतु थाना प्रभारी .....को निर्देशित करने का कष्ट करें।

5 .उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

बेदखली आदेश मेरे द्वारा संबंधित को वितरण किया गया
मेरे द्वारा प्राप्त किया
Regd 9/08/2022 रामभान

श्री .... भा0व0से0, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना द्वारा की गई

कार्यवाही एवं पारित आदेश

श्री........................पुत्र श्री........................जाति........................निवासी ग्राम........जिला गुना म.प्र. को प्रारंभिक अपराध सूचना कमांक........दिनांक........ के संदर्भ में भारतीय वन अधीनियम 1927 (म.प्र. संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 80 'अ' के तहत नोटिस कमांक........दिनांक........से सूचित किया गया कि वे नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर वनपरिक्षेत्र........के अंतर्गत आरक्षित /संरक्षित वनखंड........के प्रकोष्ठ कमांक........में........हेक्टर वन भूमि पर से अपना अतिकमण हटा लें, अथवा कारण बतावें, कि नोटिस में वर्णित अनुसार कार्यवाही क्यों न की जावें।

उक्त संबंध में श्री........................ने नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी वन भूमि पर से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है, और / न ही कोई प्रत्युत्तर दिया है/ उनसे प्राप्त उत्तर संतोषप्रद नहीं है।

अतः मैं वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल गुना भा.व.अ. 1927 (म.प्र. संशोधन अधिनियम 1965) की धारा 80 ' अ ' के तहत म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना कमांक 5322/X/67 दिनांक 14.06.67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

आदेश

आदेश कमांक/मा.चि./ 1521 **गुना /दिनांक/** 1.8.2022

5. श्री........................पुत्र श्री........................निवासी ग्राम ....को आरक्षित /संरक्षित वनखंड........के प्रकोष्ठ कमांक........में उनके द्वारा अतिकमित........हेक्टर वनभूमि से तत्काल बेदखल किया जाता है।
6. अतिकमित वनभूमि को अतिकमण से पूर्व की स्थिति में स्थापित किया जावे।

( )
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृ0कं0/मा0चि0/ 1521 गुना, दिनांक/ 1.8.2022

1 श्री........................पुत्र श्री........................जाति........................निवासी ग्राम........तह0........जिला गुना, को द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी........कृपया पत्र प्राप्ति से 05 दिवस के अंदर उक्त वन भूमि से अपना कब्जा, खडी फसल या अन्य निर्माण स्वयं हटा लें, अन्यथा निर्धारित अवधि पश्चात् उक्त भूमि पर खडी फसल, मकान अथवा अन्य निर्माण राजसात (Forfeit) कर लिये जावेंगें।

2 श्री........................वन परिक्षेत्राधिकारी........की ओर उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित को वितरित कर, दूसरी पर दिनांकित पावती लेकर, इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। प्रकरण में निर्धारित अवधि समाप्त होनें के तुरंत बाद उपरोक्त व्यक्ति का अतिकमण वनभूमि से हटा दें, एवं मौके पर खडी फसल, मकान या अन्य निर्मित कृति विधिवत् जप्त कर अपने अधिकार में लेवें।प्रकरण में आवश्यक होनें पर संबंधित पुलिस / प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर उनसे सहयोग प्राप्त कर विधिवत कार्यवाही करें। समस्त कार्यवाही एवं व्यय का प्रतिवेदन 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।(संलग्न आदेश की दो प्रति)

3 .जिलाध्यक्ष गुना की ओर कृपया प्रकरण में आवश्यक होनें पर प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने हेतु संबंधित तहसीलदार (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) .... को निर्देशित करने का कष्ट करें।

4 .पुलिस अधीक्षक गुना, कृपया प्रकरण में आवश्यकता होनें पर पुलिस बल सहयोग प्रदान करने हेतु थाना प्रभारी ....को निर्देशित करने का कष्ट करें।

5 .उप वनमण्डलाधिकारी गुना / बमोरी/ बीनागंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

बेदखली आदेश केस
की एक प्रति मेरे द्वारा भी प्राप्त की गई
दि. 05/08/2022

ENCLOSURE (C) (10)

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला-गुना

क्रमांक/729/भू-अभि./भू-प्रबं./2022 गुना,दिनांक 30 /08 /2022

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग - आरोन

"अत्यावश्यक"

विषय- माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 376/2022 में दिनांक 04-07-2022 को पारित आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक 155 से अतिक्रमण बेदखल की कार्यवाही के संबंध में ।

संदर्भ- कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना का पत्र क्रमांक/ व.नि.स./8180 गुना,दिनांक 23/08/2022

1099
2-9-22

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके माध्यम से माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 376/2022 में दिनांक 04-07-2022 को पारित आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक 155 से अतिक्रमण बेदखल की कार्यवाही हेतु शीघ्र तिथि निर्धारित करने एवं निर्धारित तिथि पर मौके पर उपस्थित रहने के संबंध में लेख किया गया है ।

अतः प्रकरण से संबंधित अतिक्रमण बेदखल की कार्यवाही हेतु शीघ्र तिथि निर्धारित कर वन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न- संदर्भित पत्र

(विशेष प्राथमिकता से)

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला गुना

पृ.क्रमांक/729 /भू-अभि./भू-प्रबं./2022 गुना,दिनांक 30 /08/2022

प्रतिलिपि:-

1- पुलिस अधीक्षक महोदय गुना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल गुना की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

343
31-09-22

संयुक्त कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला गुना

01/09/22

ENCLOSURE (5)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी आरोन जिला गुना (म.प्र.)

[illegible] री-1/2022/ 1317 आरोन दिनांक 9 [illegible]

1. अनुविभागीय अधिकारी,
   (पुलिस) राघोगढ़
2. अनुविभागीय अधिकारी
   (वन विभाग) आरोन
3. तहसीलदार
   तहसील आरोन
4. थाना प्रभारी
   आरोन
5. वन क्षेत्राधिकारी,
   वन विभाग आरोन

[illegible] माननीय एन.जी.टी. प्रकरण कमांक 36/2022 में दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश [illegible] पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष कमांक 155 से अतिक्रमण बेदखल की कार्यवाही [illegible] संबंध में।

[illegible] कलेक्टर महोदय गुना का पत्र कमांक/729/भू. अभि./भू.प्र./2022 [illegible] 30.08.2022।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि माननीय एन.जी.टी. प्रकरण [illegible] 36/2022 में दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष [illegible] से अतिक्रमण बेदखल की कार्यवाही दिनांक 15.09.2022 को मौके पर उपस्थित रहकर की जावेगी।

अतः आप अतिक्रमण बेदखल की कार्यवाही हेतु नियत दिनांक मौके पर अनिवार्य [illegible] उपस्थित रहें।

अनुविभागीय अधिकारी
आरोन जिला गुना (म.प्र.)

[illegible]/री.-1/2022/

आरोन दिनांक 9 [illegible]

[illegible] कलेक्टर महोदय गुना की ओर संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
आरोन जिला गुना (म.प्र.)

[illegible] El22 pg- 54

ENCLOSURE (E)

(12)

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आरोन

E-Mail- rangearon@rediffmail.com, rotaron@mp.gov.in, Ph.- 07545258618

क्रमांक / 1180 दिनांक 15.9.22

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डलाधिकारी महोदय,

सामान्य वन मण्डल गुना (म.प्र.)

विषय :— माननीय एन.जी.टी. प्र. क्र. 36 / 2022 में दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्रमांक पी 155 में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / व.नि.स. / 2022 / 8746 / दिनांक 07.09.2022

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत में निवेदन है कि संदर्भित पत्र के पालन में आज दिनांक 15.09.2022 को मेरे द्वारा वन परिक्षेत्र आरोन के समस्त वन स्टॉफ एवं श्रीमान् उपवन मण्डलाधिकारी महोदय बीनागंज की उपस्थिति में बीट मिर्जापुर (ब) के कक्ष क्रमांक पी 155 में पहुंचे जहां से पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से मोबाईल से सम्पर्क किया गया उनके द्वारा बताया गया कि आज दिनांक को जिले में बारिश का हाई अलर्ट है ऐसे में पुलिस एवं राजस्व विभाग का अमला संबेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु तैनात है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यवाही आज न की जाकर बाद में की जावेगी। मोके पर पुलिस एवं राजस्व अमले एवं अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही का निर्णय लेकर लगभग 01 बजे वन स्टॉफ मौके से बापिस रवाना हुआ। प्रतिवेदन श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :— मौका पंचनामा

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र आरोन

पंचनामा   स्थान. कक्ष क्र० PF-155 (13)

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा करने वाले सही-सही पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 15/09/2022 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महो० आरोन जिला-गुना म०प्र० के पत्र क्र०/ री-1/2022/1317 दिनांक-09/09/2022 के पालन में वन परिक्षेत्राधिकारी आरोन एवं अन्य वनस्टाफ के साथ माननीय एन. जी. टी. प्रकरण क्रमांक 36/2022 में दिनांक 04/07/2022 को पारित आदेश के पालन में वनपरिक्षेत्र आरोन के कक्ष क्र० PF-155 में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही हेतु कक्ष क्र० PF-155 में पंहुचे जहाँ से पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से मोबाइल से सम्पर्क किया गया तो बताया गया कि आज आरोन एवं सम्पूर्ण गुना जिले में बारिस का हाई एलर्ट है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पुलिस एवं राजस्व अमला नदी, नालों के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है। अत: उक्त कार्यवाही आज न की जाकर बाद में की जावेगी। मौके पर उप वनमंडलाधिकारी महो० बीनागंज भी पंहुच गये थे। मौके पर राजस्व एवं पुलिस अमले एवं अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यवाही किये जाने का निर्णय लेकर लगभग 01 बजे मौके से रवाना हुए।

मौका पंचनामा बनाया गया हमने पढ़ा सुना सही पाया हस्ताक्षर किये जो वक्त जरुरत काम आवे।

पंचनामा मेटे द्वारा लिखा गया।

S.D.O. बीनागंज 15/09/22

Forester R.A. Aron 15/09/2022

Vitthal विट्ठल मीना

वि.अ. [?]

R.A. Aron 15/09/22

Deepak दीपक कुमार गुप्ता (व०र०)

[illegible] (व.र.)

व. र.

सरपंच [illegible]

ENCLOSURE (F) (14)

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन   स्थान- कक्ष क्र. PF-155
दिनांक - 24/09/2022

आज दिनांक 24/09/2022 को N.G.T. के प्रकरण क्र.-376/2022 के संदर्भ में संयुक्त निरीक्षण हेतु श्रीमान वनमण्डलाधिकारी श्री हेमन्त रायकवार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अक्षय तामग्वाल तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री हरेराम कुमार, वन परिक्षेत्र आरोन की बीट- किशनपुर 'ब' के कक्ष क्र. PF-155 में पहुँचे जहाँ संबंधित स्थल जिसके संबंध में शिकायत की गई है का संयुक्त निरीक्षण किया गया। मौके पर घास-फूस के कच्चे तीन टपरे पाये गये तथा नजदीक ही बिना मुंडेर का कच्चा कुंआ पाया गया जिसमें बारिश का पानी पाया गया। टपरों के पास लगभग 2 बीघा वन क्षेत्र में मक्के की फसल पायी गई। मौके पर 10-12 पुराने कटे हुये वृक्षों के ठूंठ पाये गये जिन पर हेमरिंग-नंबरिंग पाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी आरोन ने मौके पर बताया कि उक्त अतिक्रमण, कुंआ तथा ठूंठों के संबंध में वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है।

24/9/22
Dfo Guna

24/09
SDM Raghogarh
SDM Aron

24-9-22
Technical officer
MoEFCC, IRO, Bhopal

R.O. Aron
24/09/2022

ENCLOSURE G

FOREST DIVISION - GUNA

TOPOSHEET 1:15000

RANGE - ARON

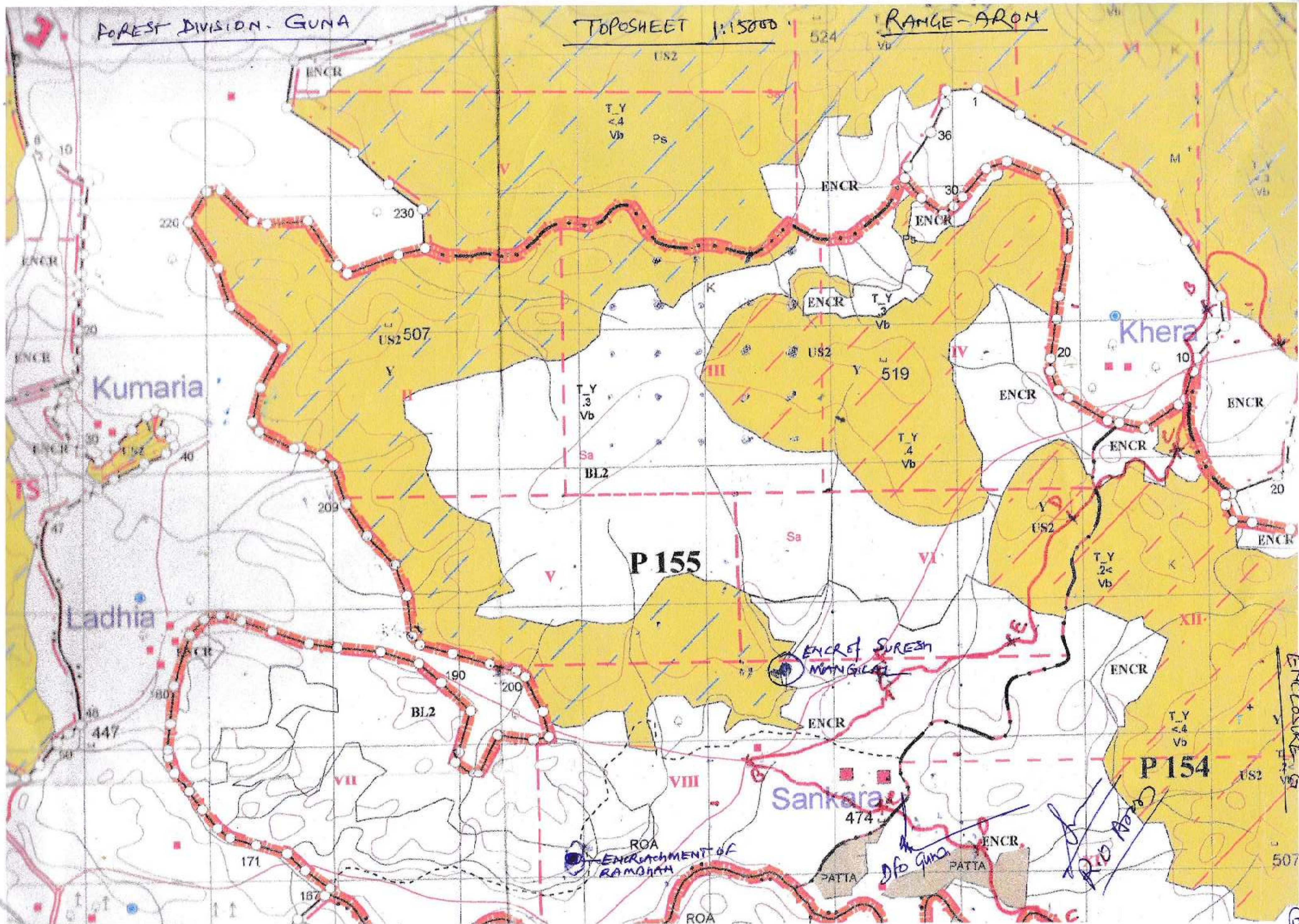

15

Inspection of compartment P-155 by joint committee on 24/09/2022

Inspection of compartment P-155 by joint committee on 24/09/2022